

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री यशार्थ शेखर (आई.ए.एस.)

अन्तिम डिक्री

वादी

वनाम

1. राणनाथ पुत्र बालकनाथ
जाति स्वामी निवासी नया
भुरटिया तहसील व जिला
बाड़मेर।

1 सवाईनाथ 2 तिलोकनाथ 3 मोहननाथ पिसरान
बालकनाथ 4 पारसनाथ 5 जगननाथ 6 देवनाथ 7
भैरनाथ 8 प्रेमनाथ पिसरान नेननाथ 9 नेनूदेवी पत्नी
नेननाथ 10 ओमनाथ 11 चेतननाथ 12 मूलनाथ
पिसरान थाननाथ 13 जेती पत्नी थाननाथ 14 चुनी
पत्नी शंकरनाथ 15 सायर पुत्री शंकरनाथ जाति
स्वामी निवासी नया भुरटिया तहसील व जिला
बाड़मेर 15 तहसीलदार बाड़मेर।

दावा बाबत 53 व 188 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :- 12/2018

निर्णय दिनांक :- 15.09.2025

वकील वादी व वकील प्रतिवादी संख्या-..... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीखको श्री यशार्थ शेखर, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाड़मेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि:-

तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर वाद पत्र एवं तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर मौजा नया भुरटिया पटवार क्षेत्र भुरटिया तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 50 रकबा 0.6232 हैक्टेयर, खसरा संख्या 950/52 रकबा 1.0117 हैक्टेयर भूमि का खातेदारान के मध्य निम्न प्रकार विभाजन कर लगान का निर्धारण किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान	रंग
1	राणनाथ पुत्र बालक नाथ हिस्सा पूर्ण जाति स्वामी सा.देह खातेदार	50	0.1022	बा.सो.	0.03	हरा
2	ओमनाथ पुत्र थाननाथ हिस्सा 1/15, चेतननाथ पुत्र थाननाथ हिस्सा 1/15, चुनी पत्नी शंकरनाथ हिस्सा 2/15, जगननाथ पुत्र नेननाथ हिस्सा 1/15 हिस्सा, जेती पत्नी थाननाथ हिस्सा 1/15, तिलोकनाथ पुत्र बालकनाथ हिस्सा 1/15, दमी देवी पत्नी देवनाथ हिस्सा 1/60, ना.बा. नेहा पुत्री देवनाथ 1/60 हिस्सा सरक्षक की कुदरती वली माता दमी देवी हिस्सा, प्रेमनाथ पुत्र नेननाथ हिस्सा 1/15, भैरनाथ पुत्र नेननाथ हिस्सा 1/15 मूलनाथ पुत्र थाननाथ हिस्सा 1/15, मोहननाथ पुत्र बालक नाथ हिस्सा 1/15, ना.बा. राजो पुत्री देवीनाथ हिस्सा 1/60 सरक्षक की कुदरती वली माता दमी देवी, ना.बा. श्रवण पुत्र देवनाथ सरक्षक की कुदरती वली माता दमी देवी हिस्सा 1/60, शिवनाथ पुत्र बालकनाथ हिस्सा 1/15 हिस्सा, सायर पुत्री शंकरनाथ हिस्सा 2/15 जाति स्वामी सा. देह खातेदार	50 950/52	0.5210 1.0117	बा.सो. बा.सो.	0.16 0.31	आसमानी
	योग		1.5327	बा.सो.	0.47	

तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद नक्शा में तरमीम करावें। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। अपना-अपना वहन करे।

यह आज तारीख 15.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(यशार्थ शेखर)

पीठासीन अधिकारी

सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड) बाड़मेर